

स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज' (The Lancet Countdown on Health and Climate Change) के नए शोध में ग्लोबल वार्मिंग को '2 डिग्री सेल्सियस' तक सीमाति करने के पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु योजनाओं- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDC) को अपनाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला गया है।

- 'द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज' का प्रकाशन वार्षिक तौर पर किया जाता है, यह एक अंतरराष्ट्रीय और बहु-वैश्विक सहयोग है, जो मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन की बढ़ती स्वास्थ्य प्रोफाइल की निगरानी करता है और साथ ही यह पेरिस समझौते के तहत विश्व भर में सरकारों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का स्वतंत्र मूल्यांकन भी प्रदान करता है।
- अध्ययन में बताया गया है कविश्व की आबादी का 50% और उत्सर्जन का 70% का प्रतिनिधित्व ब्राज़ील, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूके और अमेरिका द्वारा किया जाता है।

प्रमुख बंदि

शोध के मुख्य बंदि:

- **शोध के तीन प्रमुख पहलू:** इस शोध के तहत जनि तीन पहलुओं पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया गया है उनमें वर्तमान कार्यप्रणाली को जारी रखना, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पर्यासों में वृद्धि तथा स्वास्थ्य को जलवायु परिवर्तन शमन हेतु किये जा रहे पर्यासों के केंद्र में रखना शामिल हैं।
 - स्वास्थ्य को NDC के केंद्र में रखने से महत्त्वकांक्षाओं और स्वास्थ्य सह-लाभों को बढ़ाने का अवसर मलि सकता है।
- वर्ष 2040 तक पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है।
 - पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त कर और स्वास्थ्य को प्राथमकता देने वाली नीतियों को अपनाने से बेहतर आहार के कारण 6.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो सकती है। स्वच्छ हवा के परिणामस्वरूप 1.6 मिलियन तथा नौ देशों में प्रतिवर्ष व्यायाम के चलते 2.1 मिलियन लोगों के जीवन में वृद्धि होती है।
- अध्ययन से प्राप्त संकेतों से पता चलता है कियदि भारत पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में सफल रहता है तो यह स्वच्छ हवा के परिणामस्वरूप 4.3 लाख लोगों को और बेहतर आहार के चलते 17.41 लाख लोगों को बचाने में सक्षम होगा।

पेरिस समझौता:

- **पेरिस समझौता के बारे में:**
 - यह पहला वैश्विक रूप से बाध्यकारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता है।
 - जसि दसिंबर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन (Paris climate conference- COP21) में अपनाया गया था।
- **उद्देश्य:**
 - पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना तथा इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमाति करना।
- **दीर्घकालीन लक्ष्य:**
 - शुद्ध शून्य उत्सर्जन हेतु एक दीर्घकालिक वैश्विक लक्ष्य। देशों ने वैश्विक उत्सर्जन को जल्द-से-जल्द चरम स्तर से नीचे लाने के पर्यास का वादा किया है।
 - महत्त्वपूर्ण रूप से वैश्विक देशों द्वारा इस सदी के उत्तरार्द्ध में ग्रीनहाउस गैसों के स्रोत और मानवजनित उत्सर्जन के मध्य संतुलन स्थापति करने का संकल्प लिया गया।
- **क्रिया वधि:**
 - सम्मेलन शुरू होने से पहले 180 से अधिक देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती या अंकुश लगाने हेतु राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (INDCs) के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत की।
 - INDC को समझौते के तहत मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- **अनुदान:**

- यह नरिधारति करता है कविकसति देश शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों के संबंध में वकिकासशील देशों की सहायता हेतु वतिततीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे। अन्य देशों को स्वैच्छा से इस प्रकार का समर्थन प्रदान करने या जारी रखने के लयि प्रोत्साहति कयिा जाता है।

लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्याएँ:

■ कार्यान्वयन की धीमी गति:

- वर्ष 2025-2030 तक उत्सर्जन को कम करने के लयि अपने राष्ट्रीय योगदान को अद्यतन करने हेतु अधिकांश देशों की गति धीमी रही है, हालांकि कई देशों द्वारा हाल के दिनों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा की गई है।

■ साख:

- राष्ट्रों की योजनाएँ और नीतियाँ दीर्घकालिक शून्य लक्ष्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त रूप से वशि्वसनीय नहीं हैं:
 - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट ने इस बात का संकेत दिया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा इसे इस सीमा के भीतर रखने के लयि वैश्विक CO₂ उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 45% कम करके वर्ष 2010 के स्तर पर लाना होगा, लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय योगदान इस कमी को ट्रैक करने के लयि नहीं है।
 - वर्ष 2020 में पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वयं को अलग कर लेना इस समझौते की सार्वभौमिकता में कमी लाता है जो जलवायु सहयोग में राज्यों के वशिवास को कम करता है। हालांकि अमेरिका ने हाल ही में समझौते को फरि से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है।

■ जवाबदेही:

- दीर्घकालिक शुद्ध शून्य लक्ष्यों और अल्पकालिक राष्ट्रीय योगदान हेतु कसिी भी प्रकार की कोई सीमति या जवाबदेही नरिधारति नहीं की गई है।
- पारदर्शति ढाँचे में कसिी भी प्रकार के ठोस समीक्षा कार्य (Robust Review Function) को शामिल नहीं कयिा गया है। अनुपालन समति का कार्य बाध्यकारी प्रक्रियात्मक दायित्वों की एक छोटी सूची के साथ अनुपालन सुनिश्चति करने तक सीमति है।

■ नषिपक्षता:

- नषिपक्षता और न्याय दोनों मुद्दे पीढ़ियों के मध्य अपरहार्य हैं।
- नेट शून्य लक्ष्य (Net Zero Targets) और नेट शून्य (Net Zero) को प्राप्त करने हेतु अपनाए गए वकिलपों की नषिपक्षता की जाँच करने हेतु कसिी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्यों द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में कतिना उत्सर्जन कयिा जा रहा है या उन्हें कतिना उत्सर्जन करना चाहिये।

भारतीय परदृश्य

भारत द्वारा वर्तमान उत्सर्जन:

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन वास्तव में वैश्विक औसत से 60% कम है।
- वर्ष 2019 में देश में उत्सर्जन 1.4% बढ़ा है, जो पछिले एक दशक में प्रतिवर्ष 3.3% के औसत से काफी कम है।

भारत द्वारा वर्ष 2030 तक INDC के लक्ष्यों को प्राप्त करना:

- उत्सर्जन तीव्रता को जीडीपी के लगभग एक-तहिई तक कम करना।
- बजिली की कुल स्थापति क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना।
- 2030 तक भारत द्वारा वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बलियिन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सकि (वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषति करने का एक साधन) के प्रतिप्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

उत्सर्जन को नयित्रण करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए उपाय:

- **भारत स्टेज (वीएस) VI मानक:** ये वायु प्रदूषण की नगिरानी हेतु सरकार द्वारा जारी उत्सर्जन नयित्रण मानक हैं।
- **राष्ट्रीय सौर मशिन:** भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधति करते हुए पारस्थितिक रूप से स्थायी वकिकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक बड़ी पहल है।
- **राष्ट्रीय पवन-सौर संकर नीति 2018:** इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, बुनयिादी ढाँचे और भूमिके इष्टतम और कुशल उपयोग के लयि बड़े ग्रडि से जुड़े पवन-सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) संकर प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

